Government of India
Ministry of Finance, Revenue Department
Office of the Assistant Commissioner GST,
Division Aurangabad Rural, GST Bhavan
Town centre, CIDCO, Aurangabad – 431003

NATION TAX MARKET

(क्र.सं.01/2018-19 दिनांक 12.11.2018)

विषयः- वाहन किराए पर लेने के सम्बन्ध में ।

सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवाकर, औरंगाबाद ग्रामीण् मण्डल की ओर से 01 स्वीफ्ट डिज़ायर/महिन्द्रा स्कॉर्पियों/टोयोटो इनोवा अथवा समकक्ष वाहन की एक साल की अवधि के लिए (01.12.2018 से 30.11.2019 तक), जिसे आवश्यकतानुसार आगे की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, किराए के आधार पर आपूर्ति के लिए सीलबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है ।

नियम एवं शर्तें :-

1. सेवा प्रदाता के पास किराए पर देने हेतु पर्याप्त संख्या में कार सहित अच्छी तरह से स्थापित टैक्सी एजेंसी अथवा फर्म होनी चाहिए तथा सेवाकर के तहत पंजीकृत होनी चाहिए एवं समय पर सेवाकर देयताओं का भुगतान किया हो ।
2. एक माह के दौरान अधिकतम 2000 किमी. की दूरी के लिए वाहन की आवश्यकता होगी । यह कार्यालयीन समय के बाद सहित जरूरत के अनुसार 10 से 12 घण्टे प्रतिदिन के लिए उपलब्ध होनी चाहिए । तथापि, यदि वाहन का उपयोग कम मील-दूरी के लिए किया गया तो तदनुसार भुगतान घटा दिया जाएगा । 2000 किमी. तक अप्रयुक्त किलोमीटर अगले माह एवं उसके अगले माह (उत्तरगामी) में जोड़े जाएंगे ।
3. वाहन 2016 मॉडल से पुराना एवं 40,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक चला हुआ नहीं होना चाहिए तथा यह आन्तरिक एवं बाह्य साजोसामान के साथ अच्छी चालू स्थिति में होना चाहिए ।
4. निविदा में मासिक किराए सहित सभी प्रभार जैसे ईंधन, वाहन का रखरखाव, चालक का वेतन एवं परिलब्धियॉ, करों का विधिक भुगतान इत्यादि का उल्लेख होना चाहिए। सेवा-प्रदाता द्वारा वैध लाईसेन्सधारी वाहन चालक की तैनाती/नियुक्ति की जानी चाहिए,जो मराठवाड़ा प्रक्षेत्र तथा अहमदनगर जिले के नक्शे से परिचित हो तथा स्थानीय भाषा का ज्ञान रखता हो । सेवा-प्रदाता के पास चौबीसों घण्टे चालू दूरभाष होना चाहिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर वाहन को बुलाया जा सकें ।
5. वाहन चालक के पास चालू स्थिति में मोबाईल होना चाहिए ।
6. वाहन चालक स्वच्छ वर्दी पहनेगा, जो सेवा-प्रदाता द्वारा प्रदान की जाएगी ।
7. एक बार नियुक्त वाहन चालक को करार की अवधि समाप्त होने तक बदला नहीं जाना चाहिए । यदि बदलना अत्यावश्यक हो तो उसकी पूर्व सूचना कार्यालय को दी जानी चाहिए ।
8. सेवा-प्रदाता के पास सड़क परिवहन कार्यालय के नियमों के अनुसार टैक्सी का परमिट होना चाहिए ।

Scanned by CamScanner

9. सेवा-प्रदाता द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि करार की अवधि के दौरान वाहन का गहन/विस्तृत बीमा किया गया हो । दुर्घटना होने की स्थिति में वाहन के नुकसान का दावा या घायल का तीसरी पार्टी से निपटान सेवा-प्रदाता स्वयं करेगा । इसके लिए विभाग किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा ।
10. सेवा-प्रदाता द्वारा करार अवधि के दौरान वाहन प्रदूषण के नियमों का पालन किया जाना चाहिए एवं समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी से 'पीयूसी' (प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र) प्राप्त करेगा।
11. सेवा-प्रदाता द्वारा वाहन में अग्नि-शमन यंत्र उपलब्ध कराया जाएगा ।
12. सेवा-प्रदाता को किराए का भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा ।
13. वाहन के आने-जाने के लिए वाहन-चालक विभाग द्वारा विहित प्रोफार्मा में लॉग-बुक का रखरखाव करेगा एवं प्रत्येक महिने का सार अगले माह की पांच तारीख से पूर्व बिल एवं ड्यूटी पर्ची के साथ प्रस्तुत करेगा ।
14. वाहन-चालक के वेतन एवं भत्तों से संबंधित व्यय जैसे समयोपरि भुगतान, वाहन का रखरखाव, ईंधन-तेल या वाहन से संबंधित अन्य व्यय, जिसमें वाहन चालक के शहर से बाहर रहने का खर्च शामिल है, सेवा-प्रदाता द्वारा वहन किया जाएगा ।
15. सेवा-प्रदाता के परिसर से प्रारम्भ बिन्दु तक तथा उल्टे क्रम के डैड माईलेज़ का भुगतान नहीं किया जाएगा । माइलेज की गणना विभाग द्वारा वांछित/निर्धारित बिन्दु से की जाएगी ।
16. सड़क परिवहन कार्यालय से आवश्यक अनुमति प्राप्त करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सेवा-प्रदाता की होगी ।
17. टी.डी.एस. एवं अन्य करों की कटौति बिल में से की जाएगी।
18. वाहन का समय-समय पर उचित रखरखाव यथा बैटरी, प्रशीतक, तेल, टायरों का दबाव तथा उसकी साफ-सफाई सेवा-प्रदाता द्वारा सुनिश्चित की जानी चाहिए ।
19. बुलाने पर वाहन हमेशा निर्धारित समय एवं स्थान पर पहुँचना चाहिए तथा उस वक्त वाहन की टंकी पूर्ण रूप से भरी होनी चाहिए ।
20. इस कार्यालय द्वारा सम्पर्क करने पर सेवा-प्रदाता स्टैम्प-पेपर पर स्टैम्प-ड्यूटी सहित करार के साथ आना चाहिए ।
21. कार्यालय द्वारा करार को अंतिम रूप प्रदान करने के पूर्व चालक का ड्राईविंग ट्रायल एवं वाहन की स्थिति का परीक्षण के लिए वाहन चालक सहित वाहन दो दिन के भीतर प्रस्तुत करने चाहिए । यदि वाहन की स्थिति संतोषजनक नहीं रही तो सरसरी तौर पर निविदा रद्द कर दी जाएगी ।
22. वाहन खराब होने/मरम्मत करने की स्थिति में सेवा-प्रदाता ने वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था की जाएगी ।
23. यदि सेवा-प्रदाता द्वारा तीन से अधिक बार वाहन समय पर नहीं भेजा तो करार भंग समझा जाएगा तथा सेवा-प्रदाता को बिना कोई कारण बताए करार समाप्त कर दिया जाएगा ।
24. वाहनों की संख्या में आवश्यकतानुसार वृद्धि या कमी की जा सकती है, जिसकी सूचना सेवा-प्रदाता को एक महीने के पूर्व दी जाएगी ।
25. उपरोक्त सेवा-शर्तों का बार-बार उल्लंघन करने पर सहायक आयुक्त को करार को तत्काल समाप्त करने का अधिकार है। ऐसे मामलों में सहायक आयुक्त उचित दण्ड भी लगा सकते है ।
26. सेवा-प्रदाता एक महिने की पूर्व सूचना के बिना करार समाप्त नहीं कर सकता।
27. सेवा-प्रदाता द्वारा दो अलग-अलग बिड (तकनीकी एवं वित्तीय बिड) प्रस्तुत की जाएगी ।

Scanned by CamScanner

28. तकनीकी बिड में सेवा-प्रदाता के स्वामित्व में कारों की संख्या, वाहन निर्माण एवं मॉडल, उत्पादन तिथि, पंजीकरण संख्या, टैक्सी परमिट का विवरण, बीमा का ब्यौरा, पी.यू.सी. का विवरण, सेवाकर पंजीकरण संख्या, पैन संख्या इत्यादि विवरण होगा । तकनीकी बिड के साथ उक्त दस्तावेजों की स्व-अधिप्रमाणित दो-दो प्रतियाँ संलग्न की जाएगी । तकनीकी बिड में किसी भी प्रकार के वित्तीय मामले जैसे प्रतिमाह की उल्लेखित राशि इत्यादि का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार का कोई भी उल्लेख पाए जाने की स्थिति में निविदा सरसरी तौर पर निरस्त कर दी जाएगी ।

29. तकनीकी बिड के संतोषजनक एवं सभी नियम एवं शर्तों का पूर्ण पालन करने पर ही वित्तीय बिड खोली जाएगी ।

30. वित्तीय बिड में किराया अवधि के लिए प्रत्येक वाहन के लिए प्रति माह के अनुसार किराया-प्रभार राशि का उल्लेख होगा ।

मुहरबंद निविदा (Sealed Quotation), जिस पर **"वाहन किराए पर लेने के सम्बन्ध में निविदा-तकनीकी बिड"** तथा **"वाहन किराए पर लेने के सम्बन्ध में निविदा-वित्तीय बिड"** लिखा हो, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवाकर के सहायक आयुक्त का कार्यालय, औरंगाबाद ग्रमीण् मण्डल, एन-5, टाऊन सेंटर, सिडको, औरंगाबाद-431003 **को दिनांक 26.11.2018 को अपराह्न 4.00 बजे तक** पहुँच जानी चाहिए ।

सक्षम प्राधिकारी कम कीमत वाली निविदा या किसी अन्य निविदा को बिना कारण बताएँ पूर्णतः या अंशतः रद्द/उपेक्षित करने का अधिकार सुरक्षित रखते है ।

(जयश्री गवई)
सहायक आयुक्त
माल एवं सेवाकर (जी. एस. टी)
औरंगाबाद ग्रामीण् मण्डल

ई-टेन्डर नोटिस फा.सं. I/प्रशा./22-2/2010/पार्ट-I
औरंगाबाद, दिनांक 12.11.2018

प्रति प्रेषितः-

1. अधीक्षक (संगणक, मु.), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, औरंगाबाद को औरंगाबाद आयुक्तालय की वेबसाईट पर यह निविदा अपलोड करने हेतु।
2. नोटिस बोर्ड, मुख्यालय औरंगाबाद/ औरंगाबाद ग्रामीण् मण्डल।

Scanned by CamScanner